

रिपोर्ट पटवारी हत्या/आर्दोएलाआरु 2020
 आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई जिसके अनुसार

उपरोक्त-कम, श्रावणपत्र लिन निरुद्ध अलावेजी के आधार पर जांच शुरू
 किया जा रहा है। जांच की गयी थी मयक 20/21/21 की है।

163/24/11/2021
 सभी नाम
 है सजा
 लिखे गए हैं

न्यायालय सहस्रीलदार उदयपुरवाटी गुढागौड़जी
 दिनांक :- 24/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर नियेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अग्रिथांवा की जाती है।

उक्त किता जाणा
 उचित है।

24/11/21
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
 उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	गुडागौड़	2025-70137		अशुद्ध प्रविष्टि जमाबन्दी मां इस आदेश	उदयपुरवाटी श्रावण गुडागौड़/माल श्रावण मां प्रविष्टि मां इह आदेश

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 24/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/1604-1605
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्तो पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी